NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 10-09-2024

विषय सूची

भारत में सड़क सुरक्षा की चुनौतियाँ

भारत और UAE के मध्य परमाणु सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन

सेमीकंडक्टर के लिए अमेरिका-भारत साझेदारी

नए मशीन सुरक्षा मानदंड MSMEs को प्रभावित करेंगे

संक्षिप्त समाचार

सक्तन थंपुरन

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के 5 वर्ष

जिला कृषि-मौसम विज्ञान इकाइयाँ (DAMUs)

उभयचर अभियानों के लिए संयुक्त सिद्धांत

नया मंत्री समूह स्वास्थ्य बीमा के लिए कर दरों पर विचार करेगा

लम्बा कछुआ (इंडोटेस्टुडो एलोंगाटा)

पनडुब्बी रोधी युद्ध उथले पानी के जहाज: मालपे और मुल्की

भारत अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन महासभा की मेजबानी करेगा

भारत में सड़क सुरक्षा की चुनौतियाँ

समाचार में

- हाल ही में, IIT दिल्ली के ट्रिप सेंटर द्वारा तैयार की गई "सड़क सुरक्षा पर भारत स्थिति रिपोर्ट 2024",

रिपोर्ट के बारे में

- यह रिपोर्ट सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्युओं को कम करने में भारत की धीमी प्रगति को प्रकट करती है और सड़क निर्माण, गतिशीलता और लक्षित दुर्घटना न्यूनीकरण रणनीतियों की आवश्यकता के बीच संबंध पर बल देती है।
- इसमें छह राज्यों से प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIRs) के आंकड़ों और सड़क सुरक्षा प्रशासन पर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के साथ राज्य अनुपालन के ऑडिट का उपयोग करके भारत में सड़क सुरक्षा का विश्लेषण किया गया है।

प्रमुख निष्कर्ष

- **राज्यवार:** इसमें राज्यों में सड़क यातायात मृत्यु दर में असमानताएं सामने आईं।
  - तमिलनाडु, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में मृत्यु दर अधिक है; पश्चिम बंगाल और बिहार में कम है।
  - उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु में यातायात दुर्घटनाओं में होने वाली लगभग आधी मृत्युएँ होती हैं।

Safety first

In 2021, road traffic injuries were the 13th leading cause of death in India and the 12th leading cause of health loss.

Percentage of road traffic deaths by victims mode of transport in six States

	Chhattisgarh	Chandigarh	Delhi	Haryana	Maharashtra	Uttarakhand
Pedestrian	19	23	44	29	24	28
Bicycle	4	13	3	3	1	3
Motorised two-wheeler	58	51	40	47	58	48
Motorised three-wheeler	1	7	4	3	1	3
Car	4	4	5	8	6	7
Bus	1	1	0	1	1	4
Truck	5	1	2	5	5	4
Farm tractor	6	0	0	2	2	0
Others	0	1	1	1	2	1
Unknown	0	1	1	0	0	1
Total (%)	100	100	100	100	100	100

Percentage of road traffic deaths by type of impacting vehicle in six States

	Chhattisgarh	Chandigarh	Delhi	Haryana	Maharashtra	Uttarakhand
Bicycle	0	0	1	0	1	0
Motorised two-wheeler	13	11	6	10	14	10
Motorised three-wheeler	0	7	2	1	0	1
Car	7	36	14	25	14	21
Bus	3	5	6	4	4	7
Truck	24	12	18	32	27	28
Farm tractor	5	1	1	7	4	6
Others	11	12	5	1	5	2
None	16	9	3	2	16	5
Unknown	18	9	45	17	15	21
Total (%)	100	100	100	100	100	100

Source: India Status Report on Road Safety 2024

- **कमजोर समूह:** पैदल यात्री, साइकिल चालक और मोटर चालित दोपहिया वाहन चालक सड़क दुर्घटनाओं के सबसे सामान्य पीड़ित होते हैं, जबकि ट्रकों के कारण सबसे अधिक दुर्घटनाएं होती हैं।
- **वैश्विक तुलना:** स्वीडन जैसे विकसित देशों की तुलना में भारत का सड़क सुरक्षा प्रदर्शन काफी खराब है।
    - पिछले दशकों में इन देशों की तुलना में भारत में सड़क दुर्घटना में मृत्यु की संभावना तेजी से बढ़ी है।

मुद्दे और चिंताएँ

- वर्तमान राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा डेटा प्रणालियाँ अपर्याप्त हैं।
    - केवल आठ राज्यों ने अपने राष्ट्रीय राजमार्गों की आधी से अधिक लंबाई का ऑडिट किया है, और बहुत कम राज्यों ने अपने राज्य राजमार्गों के लिए ऐसा किया है।
    - यातायात शांत करने, चिह्नों और संकेतों सहित बुनियादी यातायात सुरक्षा उपायों का अभी भी अधिकांश राज्यों में अभाव है
- राष्ट्रीय दुर्घटना-स्तरीय डेटाबेस की कमी और समेकित पुलिस रिकॉर्ड पर निर्भरता प्रभावी विश्लेषण और हस्तक्षेप को सीमित करती है।
- हेलमेट का उपयोग कम है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और आघात देखभाल सुविधाएँ अपर्याप्त हैं।
- सड़क यातायात की चोटें एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है, जिसमें मृत्यु दर को कम करने में न्यूनतम प्रगति हुई है।
    - अधिकांश भारतीय राज्यों द्वारा 2030 तक सड़क सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक के कार्य लक्ष्य को पूरा करना संभव नहीं है, जिसके तहत यातायात दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्युओं को आधा करना है।

अनुशंसाएँ:

- सड़क सुरक्षा शिक्षा अन्य बुनियादी जीवन कौशलों की तरह ही महत्वपूर्ण है।
- केंद्र और राज्य सरकारों को सड़क सुरक्षा हस्तक्षेपों के पैमाने को बढ़ाने को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- घातक दुर्घटनाओं के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस स्थापित किया जाना चाहिए।
    - इस प्रणाली तक जनता की पहुंच से सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए विशिष्ट जोखिमों की समझ में सुधार होगा तथा राज्यों में क्रियान्वित विभिन्न हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता में भी सुधार होगा।
- विभिन्न राज्यों के समक्ष उपस्थित विशिष्ट सड़क सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए अनुकूलित रणनीतियां आवश्यक हैं

Source: TH

भारत और UAE के बीच परमाणु सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन

सन्दर्भ

- भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने असैन्य परमाणु सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

परिचय

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2015 की UAE यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने "सुरक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी" के क्षेत्रों सहित "परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग" में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की थी।
- यह समझौता परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की UAE की नीति का भाग है।
- **LNG आपूर्ति:** परमाणु सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन के अतिरिक्त, दोनों पक्षों ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच दीर्घकालिक LNG आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

भारत का असैन्य परमाणु सहयोग

- असैन्य परमाणु सहयोग में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी के विकास और उपयोग हेतु देशों या संगठनों के बीच सहयोग शामिल है।
    - इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं, जिनमें शामिल हैं: ऊर्जा उत्पादन, नियामक और सुरक्षा मानक, परमाणु ईंधन आपूर्ति और अप्रसार प्रयास।
- भारत के असैन्य परमाणु कार्यक्रम का उद्देश्य शांतिपूर्ण उद्देश्यों, मुख्य रूप से बिजली उत्पादन और अन्य अनुप्रयोगों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करना है।
- भारत का फ्रांस, रूस, अमेरिका और जापान के साथ परमाणु सहयोग है।

संबंधित समझौते

- **भारत-अमेरिका परमाणु समझौता (2005):** यह समझौता वैश्विक परमाणु बाज़ारों तक भारत की पहुँच को बेहतर बनाने में सहायक रहा।
- **अमेरिका के साथ असैन्य परमाणु सहयोग समझौता (2008):** इसने भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से असैन्य परमाणु प्रौद्योगिकी और ईंधन तक पहुँच प्रदान की।
    - इस समझौते के तहत भारत को अपनी असैन्य और सैन्य परमाणु सुविधाओं को अलग करना था, तथा असैन्य सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के सुरक्षा उपायों के अधीन थीं।

प्रमुख रिएक्टर और परियोजनाएँ:

- भारत में प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में तारापुर, कुडनकुलम और राजस्थान सम्मिलित हैं।

- ये सुविधाएं भारत के परमाणु ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

- **फास्ट ब्रीडर रिएक्टर:** भारत फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (एफबीआर) जैसे उन्नत परमाणु रिएक्टर विकसित कर रहा है, जो प्लूटोनियम का उपयोग करके अपनी खपत से अधिक ईंधन उत्पन्न करते हैं।
- **थोरियम-आधारित रिएक्टर:** भारत का परमाणु रिएक्टरों में अपने प्रचुर थोरियम संसाधनों का उपयोग करने का दीर्घकालिक दृष्टिकोण है।
  - देश अपने त्रि-स्तरीय परमाणु कार्यक्रम के भाग के रूप में उन्नत भारी जल रिएक्टर (AHWR) सहित थोरियम आधारित रिएक्टरों पर कार्य कर रहा है।

भारत का परमाणु हथियार कार्यक्रम

- **स्माइलिंग बुद्धा:** 1974 में, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसका कोड नाम "स्माइलिंग बुद्धा" था, और तब से, इसने भूमि-आधारित, समुद्र-आधारित और वायु-आधारित वितरण प्रणालियों से युक्त एक परमाणु त्रय विकसित किया है।
- **ऑपरेशन शक्ति:** 1998 में, भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षणों की एक श्रृंखला आयोजित की, जिसका कोड नाम "ऑपरेशन शक्ति" था।
  - इन परीक्षणों में विखंडन और संलयन दोनों प्रकार के उपकरण शामिल थे और इसके साथ ही भारत का परमाणु हथियार क्लब में औपचारिक प्रवेश हुआ।
- **अंतर्राष्ट्रीय आलोचना:** अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम की आलोचना की है, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों ने।
- **पहले प्रयोग न करना:** भारत की "पहले प्रयोग न करने" की नीति है, जिसका अर्थ है कि वह संघर्ष में पहले परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करने की प्रतिज्ञा करता है, लेकिन परमाणु हथियारों से हमला होने पर प्रतिउत्तर कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

संयुक्त अरब अमीरात और भारत संबंधों का संक्षिप्त अवलोकन

- **राजनीतिक:** भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने 1972 में राजनयिक संबंध स्थापित किए।
- **बहुपक्षीय सहयोग:** भारत और UAE वर्तमान में विभिन्न बहुपक्षीय प्लेटफार्मों जैसे I2U2 (भारत-इज़राइल-UAE-USA) और UFI(UAE-फ्रांस-भारत) त्रिपक्षीय आदि का भाग हैं। UAE को जी-20 शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में भी आमंत्रित किया गया था।
- **आर्थिक और वाणिज्यिक:** भारत UAE व्यापार, जिसका मूल्य 1970 के दशक में प्रति वर्ष 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, आज 84.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिससे UAE, वर्ष 2021-22 के लिए चीन और अमेरिका के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है।

- इसके अतिरिक्त , UAE वर्ष 2022-23 के लिए लगभग 31.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य (अमेरिका के बाद) है। व्यापार संबंधों को गहरा करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में 2022 में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

- **रक्षा सहयोग:** इसे मंत्रालय स्तर पर संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (JDCC) के माध्यम से संचालित किया जाता है, जिसके अंतर्गत 2003 में रक्षा सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो 2004 में प्रभावी हुआ।
- **अंतरिक्ष सहयोग:** भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और UAE अंतरिक्ष एजेंसी ने 2016 में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में सहयोग के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- **भारतीय समुदाय:** लगभग 3.5 मिलियन का भारतीय प्रवासी समुदाय UAE का सबसे बड़ा जातीय समुदाय है, जो देश की जनसँख्या का लगभग 35 प्रतिशत है।

Source: TH

सेमीकंडक्टर के लिए अमेरिका-भारत साझेदारी

सन्दर्भ

- अमेरिका ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला अवसरों का पता लगाने के लिए भारत के साथ "नई साझेदारी" की घोषणा की।

परिचय

- इसमें भारत के वर्तमान सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, विनियामक ढांचे, कार्यबल और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं का व्यापक मूल्यांकन शामिल होगा।
- यह इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को दृढ करने और विकसित करने के लिए "संभावित भविष्य की संयुक्त पहलों के लिए आधार" के रूप में कार्य करेगा।
- अमेरिकी विदेश विभाग भारत सेमीकंडक्टर मिशन के साथ साझेदारी करेगा, ताकि 2022 के CHIPS अधिनियम द्वारा बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सुरक्षा और नवाचार (ITSI) कोष के तहत वैश्विक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को विकसित करने और विविधता लाने के अवसरों का पता लगाया जा सके।
  - सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए सहायक प्रोत्साहन सृजन (CHIPS) और विज्ञान अधिनियम का उद्देश्य, विभिन्न दशकों से कम्पनियों द्वारा प्रौद्योगिकी को विदेश में ले जाने के बाद, माइक्रोचिप विनिर्माण को वापस अमेरिका में लाने का है।

अर्धचालक क्या हैं?

- अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके विद्युत गुण चालकों (जैसे धातु) और कुचालकों (जैसे रबर) के बीच में आते हैं।
    - इनमें कुछ परिस्थितियों में विद्युत का संचालन करने तथा कुछ परिस्थितियों में विद्युत कुचालक का कार्य करने की अद्वितीय क्षमता होती है।
- इन्हें कभी-कभी एकीकृत सर्किट (IC) या शुद्ध तत्वों, सामान्यतः सिलिकॉन या जर्मेनियम से बने माइक्रोचिप्स के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- डोपिंग नामक प्रक्रिया में, इन शुद्ध तत्वों में थोड़ी मात्रा में अशुद्धियाँ डाली जाती हैं, जिससे सामग्री की चालकता में बड़े परिवर्तन होते हैं।
- **अनुप्रयोग:** अर्धचालकों का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला में किया जाता है।
    - ट्रांजिस्टर, जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के मूलभूत घटक हैं, अर्धचालक सामग्रियों पर निर्भर करते हैं।
    - वे कंप्यूटर से लेकर सेल फोन तक प्रत्येक वस्तु में स्विच या एम्पलीफायर के रूप में कार्य करते हैं।
    - अर्धचालकों का उपयोग सौर कोशिकाओं, एलईडी और एकीकृत सर्किट में भी किया जाता है।

भारत का सेमीकंडक्टर उद्योग

- 2022 में, भारतीय सेमीकंडक्टर बाजार का मूल्य 26.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और 2032 तक 26.3% की CAGR से बढ़कर 271.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।

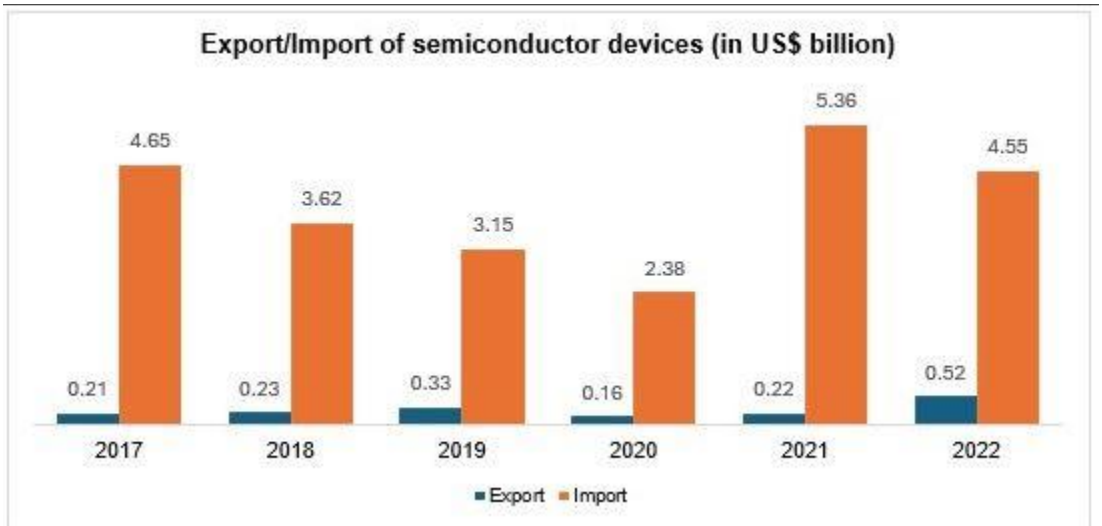

- अर्धचालक उपकरणों में डायोड, ट्रांजिस्टर और फोटोवोल्टिक सेल शामिल हैं, जो मॉड्यूल या पैनल में संयोजित या असंयोजित नहीं होते हैं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड (LEDs) और माउंटेड पीजो-इलेक्ट्रिक क्रिस्टल शामिल होते हैं।

भारत के पक्ष में कारक

- **कुशल कार्यबल:** भारत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) स्नातकों की रिकॉर्ड संख्या के साथ विश्व में सबसे आगे है, जो सेमीकंडक्टर विनिर्माण, डिजाइन, अनुसंधान और विकास में आवश्यक कुशल कार्यबल प्रदान करता है।
- **लागत लाभ:** भारत कम श्रम लागत, आपूर्ति श्रृंखला दक्षता और उभरते पारिस्थितिकी तंत्र के कारण सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए पर्याप्त लागत लाभ प्रदान करता है।
- **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण:** भारत इस उद्योग स्थानांतरण के बीच बैक-एंड असेंबली और परीक्षण संचालन के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बन गया है, जिसमें भविष्य के फ्रंट-एंड विनिर्माण की संभावना है।
- **नीति समर्थन:** भारत सरकार ने महामारी के बाद वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला की अधिकता के बाद तुरंत अवसर का लाभ उठाया है और वैश्विक सेमी आपूर्ति श्रृंखला में चीन के विकल्प के रूप में भारत को प्रस्तुत करने के लिए नीति समर्थन के माध्यम सेपक्ष दिखाया है।

भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम

- कोविड-19 महामारी के दौरान आपूर्ति में व्यवधान और ताइवान जलडमरूमध्य तथा दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक कदमों से उत्पन्न भू-राजनीतिक तनावों ने भारत के लिए अपना स्वयं का सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के प्रयासों को तीव्र कर दिया है।
    - वैश्विक चिप उद्योग पर बहुत कम देशों की कंपनियों का प्रभुत्व है, और भारत इस उच्च तकनीक और महंगी दौड़ में देर से शामिल हुआ है।
- **भारत सेमीकंडक्टर मिशन:** यह डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंदर एक समर्पित प्रभाग के रूप में कार्य करता है।
    - इसका मुख्य लक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और डिजाइन में भारत को एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने के लिए एक दृढ सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण करना है।
    - ISM के तहत, कई योजनाएं हैं:

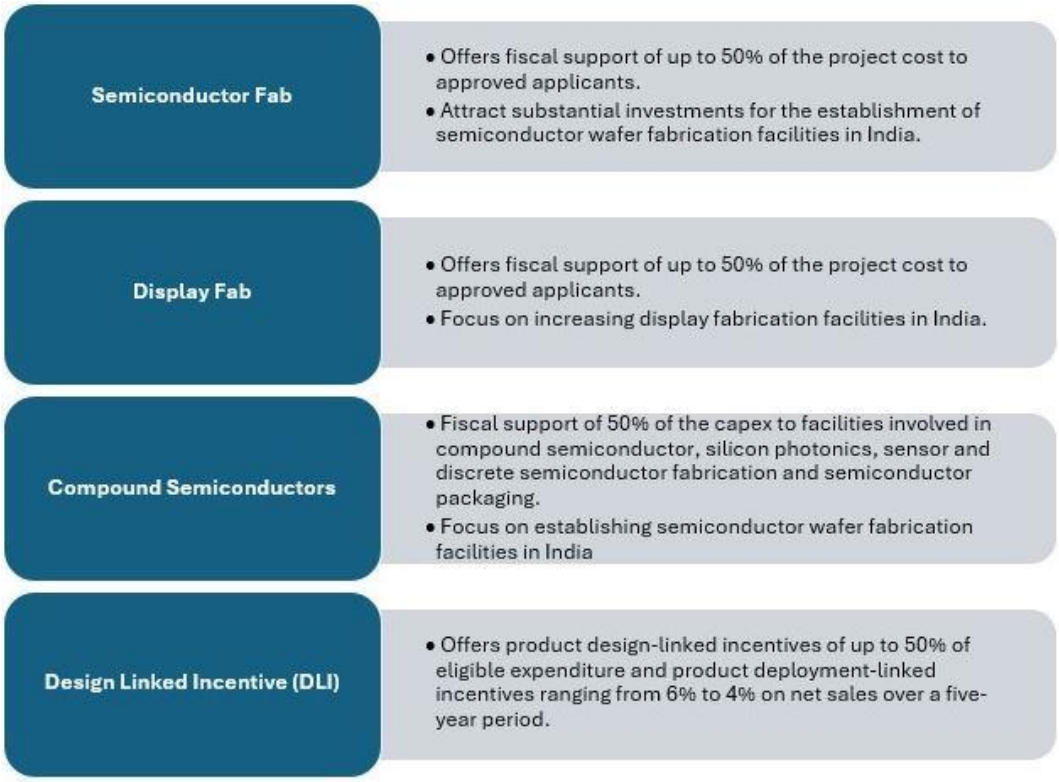

- सरकार भारत में विनिर्माण स्थापना के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है:
  - सेमीकंडक्टर फैब योजना के अंतर्गत, सभी प्रौद्योगिकी नोड्स के लिए समान आधार पर परियोजना लागत का 50% राजकोषीय समर्थन।
  - डिस्प्ले फैब योजना के अंतर्गत, समान आधार पर परियोजना लागत का 50% राजकोषीय समर्थन।
  - कंपाउंड सेमीकंडक्टर योजना के अंतर्गत, समान आधार पर पूंजीगत व्यय का 50% राजकोषीय समर्थन, जिसमें असतत सेमीकंडक्टर फैब के लिए समर्थन शामिल है।
- फरवरी 2024 में सरकार ने तीन सेमीकंडक्टर संयंत्रों की स्थापना को मंजूरी दी, जिनमें से दो गुजरात में और एक असम में होगा।

निष्कर्ष

- ताइवान विश्व की 60 प्रतिशत से अधिक सेमीकंडक्टर आपूर्ति और 90 प्रतिशत से अधिक सबसे उन्नत चिप्स का उत्पादन करता है।
- मिसाइलों से लेकर मोबाइल फोन और कारों से लेकर कंप्यूटर तक लगभग प्रत्येक वस्तु में सेमीकंडक्टर चिप्स के महत्वपूर्ण महत्व को देखते हुए, अमेरिका के साथ साझेदारी का भू-रणनीतिक और भू-आर्थिक महत्व है।

Source: IE

नए मशीन सुरक्षा मानदंड MSMEs को प्रभावित करेंगे

सन्दर्भ

- ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की रिपोर्ट में कहा गया है कि मशीनरी और विद्युत उपकरणों के लिए नए सुरक्षा नियम MSME क्षेत्र द्वारा घरेलू उत्पादन को प्रभावित करेंगे।

पृष्ठभूमि

- हाल ही में भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) द्वारा मशीनरी और विद्युत उपकरण सुरक्षा (सर्वव्यापी तकनीकी विनियमन) आदेश, 2024 प्रस्तुत किया गया, जो 28 अगस्त, 2025 को प्रभावी होने वाला है।
- ये नियम भारत में निर्मित या आयातित मशीनरी और विद्युत उपकरणों के लिए कठोर सुरक्षा मानक लाते हैं, जिसका उद्देश्य भारतीय सुरक्षा प्रथाओं को वैश्विक मानदंडों के अनुरूप बनाना है।
- नए नियमों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) पर दूरगामी परिणाम पड़ने की उम्मीद है, जो अनुमानित 1,50,000 निर्माताओं में से 90 प्रतिशत हैं जो प्रभावित होंगे।

नये सुरक्षा मानदंडों के मुख्य बिंदु

- ये मानदंड भारत में निर्मित या आयातित मशीनरी और विद्युत उपकरणों के लिए कठोर सुरक्षा मानकों के तीन स्तर प्रस्तुत करते हैं।
- ये नियम मशीनरी और उनके भागों या उप-विधानसभाओं दोनों पर लागू होते हैं।
- इसके लिए निर्माताओं को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा निर्धारित सुरक्षा और अनुरूपता मानकों का पालन करना होगा।
- ये नियम अनुमानित 50,000 से अधिक प्रकार की मशीनरी को समायोजित करते हैं, जिनमें पंप, कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूज, क्रेन, ट्रांसफार्मर और स्विचगियर जैसे प्रमुख औद्योगिक उपकरण शामिल हैं, जो 463 टैरिफ लाइनों या उत्पाद श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं।
    - वित्त वर्ष 2024 में, इन टैरिफ लाइनों में भारत का आयात 25 बिलियन डॉलर था, जिसमें चीन का हिस्सा 39.1 प्रतिशत था।
    - भारत ने इसी अवधि में 17.7 बिलियन डॉलर मूल्य की मशीनरी का निर्यात भी किया।

चिंताएं क्या हैं?

- यद्यपि निर्यातोन्मुख वस्तुओं को उस आदेश से छूट दी गई है, जिसके अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) से पूर्व अनुमोदन लेना अनिवार्य है।
    - हालांकि, इससे 1.5 लाख उपकरण निर्माताओं को बहुत कम राहत मिलेगी, क्योंकि वे घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में आपूर्ति करते हैं।

- वर्तमान में, अधिकांश MSMEs ISO 9001 मानदंडों का पालन करते हैं जो सुरक्षा चिंताओं को स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं करते हैं।
    - दूसरी ओर, नये मानदंड अत्यधिक तकनीकी हैं और BIS की ओर से कार्यान्वयन संबंधी दिशा-निर्देशों का अभाव उत्पादकों के लिए अनुपालन को और भी कठिन बना देगा।
- वित्तीय और तकनीकी बाधाएं MSMEsके लिए महत्वपूर्ण बाधाएं उत्पन्न करेंगी, जिसमें मशीनरी के प्रकार और आवश्यक मानकों के आधार पर अनुपालन लागत 50,000 रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक होगी।

निष्कर्ष

- सरकार को कार्यान्वयन में देरी करनी चाहिए और उद्योग को तैयार होने में सहायता करनी चाहिए। समर्थन के बिना, अधिकांश MSMEs अनुपालन करने में संघर्ष कर सकते हैं और बंद होने के लिए मजबूर हो सकते हैं।
- अनुपालन के लिए विस्तारित समयसीमा और उद्योग निकायों से समर्थन के साथ एक चरणबद्ध दृष्टिकोण आवश्यक होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन नए सुरक्षा मानकों के लाभों को छोटे व्यवसायों पर अनावश्यक भार डाले बिना पूरी तरह से महसूस किया जाए।

MSMEs क्या हैं?

- MSMEs या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ऐसे व्यवसाय हैं जिन्हें उनके निवेश और टर्नओवर के स्तर से परिभाषित किया जाता है।
- उन्हें अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है क्योंकि वे रोजगार उत्पन्न करते हैं, आय उत्पन्न करते हैं और उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हैं।

MSMEs का योगदान

- **अर्थव्यवस्था में योगदान:** MSMEs को प्रायः भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है; वे 11 करोड़ से अधिक रोजगारों का सृजन करते हैं और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 27% का योगदान करते हैं।
- **रोजगार सृजन:** इस क्षेत्र में लगभग 6.4 करोड़ MSMEs हैं, जिनमें से 1.5 करोड़ उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत हैं और भारतीय श्रम शक्ति के लगभग 23% को रोजगार देते हैं, जिससे यह कृषि के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता बन गया है।
- **उत्पादन और निर्यात:** वे कुल विनिर्माण उत्पादन का 38.4% भाग हैं और देश के कुल निर्यात में 45.03% का योगदान करते हैं।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

सक्तन थंपुरन

सन्दर्भ

- केरल के पर्यटन राज्य मंत्री ने सक्थन थंपुरन की एक प्रतिमा को परिवर्तित का वचन दिया, जिसे राज्य परिवहन की एक बस ने गिरा दिया था।

सक्तन थंपुरन

- राजा राम वर्मा कुंजिपिल्लई या राम वर्मा IX, जिन्हें आज सक्थन थंपुरन के नाम से जाना जाता है, ने 1790 से 1805 तक कोचीन राज्य पर शासन किया।
- उनका जन्म 1751 में कोचीन शाही परिवार में अंबिका थंपुरन और चेंडोज अनियन नंबूदरी के घर हुआ था, लेकिन उनका पालन-पोषण उनकी एक चाची ने किया, जिन्होंने उन्हें सक्थन नाम दिया, जिसका अर्थ है 'शक्तिशाली'।
- माना जाता है कि थंपुरन शब्द संस्कृत के सम्राट का एक रूप है, जिसका अर्थ है सम्राट।
- कोचीन राज्य, जो भूतपूर्व चेरा साम्राज्य का हिस्सा था, आज के केरल में मलप्पुरम में पोन्नानी और अलपुझा में थोट्टापल्ली के बीच के क्षेत्रों को कवर करता था।

Source: IE

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के 5 वर्ष

सन्दर्भ

- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (**PM-KMY**) के कार्यान्वयन के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं।

परिचय

- 2019 में शुरू की गई PM-KMY देश भर के सभी भूमिधारक छोटे और सीमांत किसानों (SMFs) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।
    - पात्र लघु एवं सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात 3,000 रुपये की निश्चित मासिक पेंशन दी जाती है।
    - 18 से 40 वर्ष की आयु के किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह का अंशदान करना होता है।
    - कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग के माध्यम से केंद्र सरकार भी पात्र अंशदाता द्वारा दिए गए अंशदान के बराबर राशि पेंशन कोष में जमा करती है।

- जीवन बीमा निगम (LIC) पेंशन निधि का प्रबंधन करता है, तथा लाभार्थी पंजीकरण सामान्य सेवा केन्द्रों (CSCs) और राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है।

Source: PIB

जिला कृषि-मौसम विज्ञान इकाइयाँ (DAMUs)

समाचार में

- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ग्रामीण कृषि मौसम सेवा (GKMS) योजना के अंतर्गत जिला कृषि-मौसम विज्ञान इकाइयों (DAMUs) को पुनर्जीवित करने की योजना बना रहा है।

जिला कृषि-मौसम विज्ञान इकाइयों (DAMUs) के बारे में

- DAMUs की स्थापना मूल रूप से 2018 में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से मौसम संबंधी आंकड़ों का उपयोग करके स्थानीय कृषि परामर्श प्रदान करने के लिए की गई थी।
- वे कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) के अन्दर स्थित हैं और वे परामर्श देने और प्रसारित करने के लिए IMD मौसम डेटा का उपयोग करते हैं।
    - स्थानीय भाषाओं में पाठ संदेश, व्हाट्सएप, समाचार पत्रों और व्यक्तिगत संचार के माध्यम से भेजी जाने वाले यह परामर्श किसानों को सूचित निर्णय लेने में मदद करती हैं।
- **महत्व:** ये भारत के छोटे और सीमांत किसानों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो वर्षा आधारित कृषि करते हैं और जलवायु परिवर्तन के कारण चुनौतियों का सामना करते हैं।
    - वे बुवाई, कटाई, सिंचाई और कीट प्रबंधन पर मौसम आधारित परामर्श देते हैं, जिससे किसानों को अपनी गतिविधियों की योजना बनाने और आदर्श मौसम की घटनाओं के लिए तैयार रहने में सहायता मिलती है।
- **बंद करने का कारण:** नीति आयोग के इस दावे के बाद कि कृषि-मौसम डेटा स्वचालित था और सेवाओं का निजीकरण किया जाना चाहिए, मार्च 2024 में DAMUs को बंद कर दिया गया।
    - नीति आयोग के दावों ने DAMUs कर्मचारियों की भूमिका को कम कर दिया, जो सलाह तैयार करने और उसे संप्रेषित करने में महत्वपूर्ण थे।
- विशेषज्ञों का मानना है कि DAMUs को बंद करना नासमझी थी और इसके बजाय GKMS योजना को मजबूत किया जाना चाहिए था।
    - उन्होंने DAMUs को बंद करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने तथा उनके प्रभाव को बढ़ाने के तरीकों की खोज करने की सिफारिश की।

Source: TH

उभयचर अभियानों के लिए संयुक्त सिद्धांत

समाचार में

- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने नई दिल्ली में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (COSC) की बैठक के दौरान उभयचर अभियानों के लिए संयुक्त सिद्धांत जारी किया।

About Doctrine

- यह साइबरस्पेस संचालन के लिए संयुक्त सिद्धांत के बाद 2024 में जारी किया जाने वाला दूसरा संयुक्त सिद्धांत है।
- यह सशस्त्र बलों के अंदर संयुक्तता और एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देता है, विशेष रूप से उभयचर संचालन के संदर्भ में।
- यह वर्तमान जटिल सैन्य वातावरण में उभयचर संचालन करने के लिए कमांडरों के लिए एक प्रमुख मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है।
- **महत्व:** यह सशस्त्र बलों की हिंद महासागर क्षेत्र में संचालन करने की क्षमता को बढ़ाता है, जो युद्ध और शांति दोनों समय में प्रासंगिक है।
    - यह बहु-क्षेत्रीय परिचालनों के महत्व पर प्रकाश डालता है तथा सशस्त्र बलों के बीच एकीकरण और सामंजस्य को प्रदर्शित करता है।

Source: TH

नया मंत्री समूह स्वास्थ्य बीमा के लिए कर दरों पर विचार करेगा

सन्दर्भ

- वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा पर 18% GST की समीक्षा करने तथा कैंसर की दवाओं पर GST में कटौती करने के लिए एक मंत्रिसमूह (GoM) का गठन किया।

परिचय

- GST परिषद ने कैंसर की तीन दवाओं - ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डुरवालुमैब - पर GST दर को 12% से घटाकर 5% करने को मंजूरी दी।
- परिषद ने कार सीट कवर पर कर को 18% से बढ़ाकर 28% कर दिया, ताकि उन्हें मोटरसाइकिल सीटों के बराबर लाया जा सके।
- परिषद ने नमकीन और भुजिया जैसी चीजों के साथ उनके भेद को खत्म करने के लिए कुछ एक्सट्रूडेड नमकीन स्नैक्स पर कर को 18% से घटाकर 12% करने को भी मंजूरी दी।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद

- वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279ए के तहत 2016 के 101वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से की गई है।
- केंद्रीय वित्त मंत्री GST परिषद के अध्यक्ष हैं।
- GST परिषद GST से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिशें करती है, जिनमें शामिल हैं:
  - GST के अंतर्गत आने वाले कर, उपकर और अधिभार
  - वस्तुएँ और सेवाएँ जो GST के अधीन होंगी या GST से छूट प्राप्त होंगी
  - मॉडल GST कानून, लेवी के सिद्धांत और IGST का विभाजन
  - कर की दरें, सीमा, विशेष प्रावधान और GST से संबंधित कोई अन्य मामला।
- विवाद समाधान: परिषद GST से संबंधित मामलों पर केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के बीच विवादों को हल करने के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करती है।
- केंद्र के पास कुल मतदान शक्ति का एक तिहाई भाग है, जबकि राज्यों के पास सामूहिक रूप से दो तिहाई है।

Source: TH

लम्बा कछुआ (इंडोटेस्टुडो एलोंगाटा)

सन्दर्भ

- अरावली में एक शोध सर्वेक्षण के दौरान हरियाणा के दमदमा क्षेत्र में लम्बे आकार का यह कछुआ देखा गया।

परिचय

- **विशेषताएं:** कछुआ मध्यम आकार का होता है, जिसका खोल पीले-भूरे या जैतून के रंग का होता है और प्रत्येक ढाल के केंद्र पर स्पष्ट काले धब्बे होते हैं।
  - कछुए की नाक पर एक गुलाबी छल्ला होता है, जो प्रजनन काल में दिखाई देता है।
- **निवास स्थान:** यह प्रजाति, जिसे साल वन कछुआ भी कहा जाता है, साल और सदाबहार वन निवास स्थान, शुष्क कांटेदार वन और सवाना घास के मैदानों सहित खुले पर्णपाती वन क्षेत्रों में निवास करती है।
- **वितरण:** यह प्रजाति पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और मलेशिया में व्यापक रूप से वितरित है।
  - पूर्वी भारत के छोटा नागपुर पठार में विच्छिन्न कछुओं की जनसँख्या उपस्थित है।
- **IUCN स्थिति:** गंभीर रूप से संकटग्रस्त

Source: IE

पनडुब्बी रोधी युद्ध उथले जलपोत: मालपे और मुल्की

सन्दर्भ

- भारतीय नौसेना के लिए मेसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित आठ एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW SWC) परियोजना के चौथे और पांचवें जहाज, मालपे और मुल्की को लॉन्च किया गया।
    - माहे, मालवन और मंगरोल ASW SWC परियोजना के पहले तीन जहाज हैं।

परिचय

- भारत के तट पर सामरिक महत्व के बंदरगाहों के नाम पर रखे गए मालपे और मुल्की, माहे श्रेणी के जहाज हैं और भारतीय नौसेना के सेवा में उपस्थित अभय श्रेणी के ASW कोर्वेट का स्थान लेंगे।
- इसे तटीय जल में पनडुब्बी रोधी अभियान, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान और खोज और बचाव के अतिरिक्त माइन-लेइंग अभियान चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- हल्के वजन वाले टॉरपीडो, पनडुब्बी रोधी युद्ध रॉकेट, क्लोज-इन हथियार प्रणाली और रिमोट-नियंत्रित बंदूकों से लैस ये जहाज 1800 समुद्री मील तक की सहनशक्ति के साथ 25 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त कर सकते हैं।

Source: PIB

भारत अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन महासभा की मेजबानी करेगा

सन्दर्भ

- भारत इस वर्ष नवम्बर में पहली बार नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की सामान्य सभा और वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

परिचय

- इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है "सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है", जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष - 2025 के आधिकारिक शुभारंभ का भी प्रतीक होगा।
    - इस कार्यक्रम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष – 2025 के उपलक्ष्य में एक स्मारक टिकट जारी किया जाएगा।
- सम्मेलन में भारतीय गांवों की थीम पर स्थापित 'हाट' में भारतीय सहकारी उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित किया जाएगा।

- संख्या और सदस्यता दोनों की दृष्टि से भारत में विश्व की एक-चौथाई सहकारी समितियां हैं और इस कदम से देश में सहकारी आंदोलन को अधिक मजबूती मिलेगी।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA)

- यह वैश्विक सहकारी आंदोलन के लिए प्रमुख निकाय है।
- सहकारी सामाजिक उद्यम मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए इसे 1895 में एक गैर-लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संघ के रूप में स्थापित किया गया था।
- ICA की सामान्य सभा प्रत्येक वर्ष होती है जबकि वैश्विक सम्मेलन प्रत्येक दो वर्ष में होती है।

Source: PIB

■■■■